(J)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 138-एक/2008 - विरूद्ध आदेश दिनांक 21-8-2008 - पारित द्वारा - अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 406/2007-08 अपील

1- रामदास 2- रामविशाल 3- रामराज
4- मोतीलाल पुत्रगण परदेशी साकेत
5- सुखदेव पुत्र सॅसारी चमार
निवासी ग्राम बसाही तहसील चितरंगी जिला सिंगरोली
6- जगदेव मृत पिता संसारी चमार वारिस
अ- श्रीमती गन्ती देवी पतिन स्व. जगदेव5
ब- राजपति स- हिंछपति पुत्रगण जगदेव
निवासीगण ग्राम कुशाही तहसील चितरंगी जिला सिंगरोली
द- श्रीमती सुभरनुआ पत्नि रामपति पुत्री जगदेव
ग्राम मझिगवां तहसील सिहावल जिला सिंगरोली
इ- श्रीमती अभरनुआ पत्नि लक्षिमन पुत्री जगदेव
फ- श्रीमती सोनउरा पत्नि रामलाल पुत्री जगदेव
दोनों ग्राम चहली खंदोली तहसील देवसर जिला सिंगरोली
य- श्रीमती फुलौआ पत्नि बहादुर पुत्री जगदेव
ग्राम झोंखे तहसील देवसर जिला सिंगरोली
र- श्रीमती रामकली पत्नि शिवप्रसाद पुत्री जगदेव
ग्राम मझिगवां तहसील सिहावल जिला सिंगरोली .
7- सखायतपिता दीन मोहम्मद
8- फतेह मोहम्मद पिता जुम्मन दोनों ग्राम बसाही
तहसील चितरंगी जिला सिंगरोली ---आवेदकगण

विरूद्ध

1- बल्देव पुत्र बजरंगी केवल ग्राम बसाही
तहसील चितरंगी जिला सिंगरोली

2- मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर सिंगरोली --अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री प्रमोद मिश्रा)
(अनावेदक क-1 के अभिभाषक श्री रामराज सिंह)

आ दे श

(आज दिनांक 01-11-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 406/07-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-8-2008 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक कमांक-1 ने तहसीलदार चितरंगी को आवेदन देकर मांग की कि ग्राम बसाही स्थित भूमि सर्वे कमांक 205/1/2 रकबा 0.975 हैक्टर तथा 131/1/3 रकबा 0.405 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.200 हैक्टर का वह भूमिस्वामी है किन्तु इन सर्वे नंबरों से बंदोवस्त के दौरान नवीन निर्मित सर्वे नंबर 682 रकबा 0.40, 700 रकबा 0.08, 702 रकबा 0.07, 703 रकबा 0.35 है. तथा 698 रकबा 0.30 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 1.10 तैयार किया गया है जो त्रृटिपूर्ण है। तद्नुसार मौके की जांच कराकर सुधार कराया जावे। तहसीलदार चितरंगी ने प्रकरण कमांक 215 अ-5/2001-02 पॅजीबद्ध किया तथा मौके की जांच कराकर आदेश दिनांक 25-8-2004 पारित किया एंव बंदोवस्त के दौरान हुई त्रृटि सुधार के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी चितरंगी के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी चितरंगी ने प्रकरण कमांक 113/2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-3-2005 से तहसीलदार का आदेश दिनांक 25-8-04 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण पुनः

स्थल जांच निरीक्षण एंव पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा ने प्रकरण कमांक 406/07-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-8-2008 से अनुविभागीय अधिकारी चितरंगी का आदेश दिनांक 28-3-2005 निरस्त कर दिया एंव अपील स्वीकार की। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों के परिप्रेक्ष्य में उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उनके व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस के साथ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्को एंव लेखी बहस के तथ्यों के साथ अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 406/07-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-8-2008 तथा अनुविभागीय अधिकारी चितरंगी व्दारा प्रकरण कमांक 113/2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-3-2005 के तुलनात्मक अवलोकन से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 28-3-2005 के पद 5 में निम्नानुसार Finding दी है :-

" अधीनस्थ न्यायालय व्दारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25-8-04 निरस्त करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि अपीलांट को पक्षकारों की भूमिका में शामिल करते हुये अधीनस्थ न्यायालय स्वतः अभिलेखीय प्रविष्टियों तथा स्थल पर की स्थिति का निरीक्षण/ परीक्षण कर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण का विधिसंगत निराकरण करे। "

अनुविभागीय अधिकारी का उपरोक्तानुसार निष्कर्ष एंव उनके व्दारा दिये गये प्रत्यावर्तन निर्देशों से स्पष्ट है कि उनके व्दारा पारित आदेश दिनांक 28-3-2005 अंतिम आदेश नहीं है अपितु अंतरिम स्वरूप का आदेश है जिसके विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के अंतर्गत अपील कमांक 406/07-08 प्रस्तुत हुई है जबकि प्रत्यावर्तन आदेश के विरूद्व अपील बर्जित है । अपर आयुक्त का दायित्व था कि सर्वप्रथम वह अपील की ग्राह्यता पर विचार करते एंव तद्नुसार निर्णय लेकर

अग्रिम कार्यवाही पर विचार करते, क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी चितरंगी के आदेश दिनांक 28-3-2005 से प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित होने के वाद वादविचारित पक्षकारों की पुनः सुनवाई पर तथा वादग्रस्त भूमि के बंदोवस्त के पूर्व के अभिलेख एंव बंदोवस्त के वाद तैयार नवीन अभिलेख की जांच होने पर वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो जाती , किन्तु अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तन आदेश के विरूद्व अग्राह्य अपील को स्वीकार कर भूमि की स्थिति बंदोवस्त के वाद तैयार नवीन अभिलेख अनुसार बनाये रखने के आदेश देने में भूल की है, जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 406/2007-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-8-2008 नियम एंव प्रक्रिया के विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 406/2007-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-8-2008 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव निगरानी स्वीकार की जाती है। यह मामला वर्ष 2004 से लम्बित है एंव पक्षकार न्याय की प्रत्याशा में हैं । अतः तहसीलदार चितरंगी को आदेश दिये जाते हैं कि अनुविभागीय अधिकारी चितरंगी के आदेश दिनांक 28-3-2005 के क्रम में समस्त हितबद्व पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुये प्रकरण का निराकरण 90 दिवस के भीतर करना सुनिश्चित करें।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर